सैनिक स्कूल नालंदा

पालकों /अभिभावकों/आगंतुकों हेतु प्रवेश मार्गदर्शिका (अनिवार्य निर्देश):

सैनिक स्कूल नालंदा की गरिमा, सुरक्षा और अनुशासित वातावरण को अक्षुण्ण बनाए रखने हेतु **पालकों/ अभिभावकों/आगंतुकों के लिए प्रवेश संबंधी निर्देश** निम्नलिखित हैं। इन नियमों का अक्षरश: अनुपालन पालकों / अभिभावकों/आगंतुकों से अपेक्षित है:

1. प्रवेश समय एवं अनुमति की परिसीमा

- **प्रशासनिक कार्य हेतु:** विद्यालय के कार्यालयीय कार्यों के लिए कार्य दिवस में **पूर्वाहन 09 बजे** से **अपराह्न 1 बजे** तक ही परिसर में प्रवेश की अनुमति होगी।
- पूर्ववर्ती सैन्य-छात्रों को प्रमाण-पत्र निर्गत संबंधी उनके अनुरोध-पत्र (ईमेल द्वारा) भेजने के पश्चात् तदनुसार आवंटित दिन और समयावधि के अनुसार ही परिसर में प्रवेश करने की अनुमति होगी।
- **पाल्य (कैडेट) से मिलना :** पालकों/अभिभावकों को अपने पाल्य से भेंट करने हेतु केवल माह के **द्वितीय एवं चतुर्थ रविवार** को ही प्रवेश की अनुमति होगी।
- **समयबद्धता:** निर्धारित रविवार को केवल आवंटित समयावधि के भीतर ही परिसर में रहने की अनुमति है। निर्धारित समयावधि के पश्चात् प्रस्थान अनिवार्य है।

2. यातायात एवं वाहन नियंत्रण

- **वाहन प्रवेश निषेध:** विद्यालय की शांति एवं सुरक्षा के मदेनजर अभिभावकों के निजी वाहनों का परिसर में प्रवेश पूर्णतः वर्जित है। वाहन मुख्य द्वार के समीप निर्धारित पार्किंग स्थल पर ही खड़े किए जाने चाहिए।

3. प्रतिबंधित वस्तुएं एवं जाँच (सुरक्षा प्रोटोकॉल)

- **इलेक्ट्रॉनिक उपकरण:** विद्यालय की डिजिटल सुरक्षा नीति के अनुसार, प्रवेश के समय पाल्य को **मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, सिम कार्ड या अन्य कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट** देना या साथ ले जाना सख्त मना है।

- **वर्जित खाद्य पदार्थ:** अपने साथ किसी भी प्रकार का **फास्ट फूड (पिज्जा, बर्गर आदि) अथवा प्रिजर्व्ड/डिब्बाबंद खाद्य सामग्री)** लाने की अनुमति नहीं है। आपके पाल्य के लिए केवल ताजे फल एवं सीमित मात्रा में घर का बना पौष्टिक भोजन ही स्वीकार्य है।

- **मादक पदार्थ:** तंबाकू, सिगरेट या किसी भी प्रकार के नशीले पदार्थों के साथ प्रवेश/सेवन दंडनीय अपराध की श्रेणी में आता है।

4. परिसर में विचरण एवं आवास संबंधी नियम

- **अनाधिकृत क्षेत्र:** अभिभावकों को अनधिकृत रूप से विद्यालय के किसी भी **शैक्षणिक उपखंड (कलाम ब्लॉक), प्रयोगशाला अथवा अन्य संकाय)** में भ्रमण की अनुमति नहीं होगी।

- **छात्रावास (Hostel) निषेध:** कैडेट्स के छात्रावासों में अभिभावकों का प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित है। मिलन हेतु निर्धारित सार्वजनिक स्थान का ही उपयोग करें।

- **अतिथि गृह (Guest Room):** पालकों/ अभिभावकों के अतिथि गृह में ठहरने हेतु विद्यालय के आधिकारिक ईमेल आईडी पर **पूर्व में ही अनुरोध पत्र** भेजना आवश्यक है। अनुमति प्राप्त होने पर ही कमरा आवंटित किया जाएगा।

5. संवाद एवं व्यवहारगत शिष्टाचार

- **सभ्य आचरण:** मुख्य द्वार पर तैनात सुरक्षाकर्मियों एवं विद्यालय के अन्य कर्मचारियों के साथ **एक मर्यादित एवं सुसंस्कृत नागरिक** की भांति व्यवहार अपेक्षित है। किसी भी प्रकार की अभद्रता अनुशासनहीनता मानी जाएगी।

- **अकादमिक संवाद:** पाल्य की शैक्षणिक प्रगति के विषय में जानकारी हेतु मुख्य द्वार पर उपलब्ध **दूरभाष (Telephone)** के माध्यम से निर्धारित अवधि में 'सदनाध्यक्ष' (House Master) या विषय शिक्षक से संपर्क किया जा सकता है।

6. स्वच्छता एवं नैतिकता

- **परिसर की स्वच्छता:** अपने पाल्य से भेंट के दौरान परिसर की स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। किसी भी प्रकार का अपशिष्ट (थैला ,प्लास्टिक,फल के छिलके, रैपर्स) फैलाना वर्जित है।

- **प्रतिबंधित सामग्री का हस्तांतरण:** अपने पाल्य को कोई भी ऐसी सामग्री न सौंपें जो विद्यालय की नियमावली में 'प्रतिबंधित' श्रेणी में आती हो।

अभिभावकों से अनुरोध है कि वे विद्यालय के इन 'रेजिमेंटल' नियमों को अपने पाल्य के उज्ज्वल एवं अनुशासित भविष्य के लिए एक सहयोग के रूप में देखें।